

कार्यालय प्राचार्य पं० देवी प्रसाद चौबे शासकीय महाविद्यालय साजा,
जिला-बेमतरा (छोगो)

ईमेल : govtcollegesaja@gmail.com वेब साइट : www.govtcollegesaja.in दूरभाष ...
क्र/ / स्था. / 2020 साजा दिनांक 31/03/2020

|| अपील ||

इस समय देश एवं प्रदेश नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के कारण उत्पन्न महामारी एवं विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। संपूर्ण प्रदेश को लॉकडाउन किया जा चुका है। नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के विस्तार को रोके जाने हेतु यही एकमात्र साधन है। इस हेतु राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर मिल कर विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

अतः महाविद्यालय समस्त छात्र/छात्राओं से यह अपील करता है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के रोकथाम एवं बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र प्रभावी उपाय है साथ ही हाथों को नियमित रूप से धोना एवं सेनेटाईज किये जाने से इस बीमारी से बचा जा सकता है।

छात्र/छात्राएं इस लॉकडाउन की स्थिति में शासन द्वारा जारी किये गये निर्देशों एवं गाईडलाईन के पालन हेतु जागरूक रहें एवं यह भी प्रयास करें कि न केवल स्वयं इसका पालन करना है अपितु अपने माध्यम से दूसरों को भी नियमों का पालन कराने के लिए प्रेरित करना है। जिससे कि हम अपने आप को, घर परिवार प्रदेश एवं राष्ट्र को बचाया जा सकें।




डॉ. आई. पी. दिनकर.
प्राचार्य
पं० देवी प्रसाद चौबे
शासकीय महाविद्यालय
साजा



Help us to
help you

नोवल कोरोनावायरस (COVID-19)



श्री भूपेश बघेल
मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

खुद रहें सुरक्षित, दूसरों को रखें सुरक्षित
क्या करें और क्या ना करें

क्या करें ✓



बार-बार हाथ धोएं। जब आपके हाथ स्पष्ट रूप से गंदे न हों, तब भी अपने हाथों को अल्कोहल - आधारित हैंड बॉश या साबुन और पानी से साफ करें



छींकते और खांसते समय,
अपना मुंह व नाक टिशू/स्माल
से ढकें



प्रयोग के तुरंत
बाद टिशू को
किसी बंद डिब्बे में
फेंक दें



अगर आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई है तो डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर से मिलने के दौरान अपने मुंह और नाक को ढंकने के लिए मास्क/कपड़े का प्रयोग करें



अगर आप में कोरोना वायरस के लक्षण हैं, तो कृपया राज्य हेल्पलाइन नंबर या स्वास्थ्य मंत्रालय की 24X7 हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 पर कॉल करें



भीड़-भाड़ वाली
जगहों पर जाने
से बचें



यदि आपको खांसी और बुखार का अनुभव हो रहा हो, तो किसी के साथ संपर्क में ना आयें



अपनी आंख, नाक या मुंह को ना सूखें



सार्वजनिक स्थानों
पर ना धूकें

क्या न करें ✗

हम सब साथ मिलकर कोरोनावायरस से लड़ सकते हैं

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी

अधिक जानकारी के लिए शासकीय जिला चिकित्सालय से अथवा राज्य सर्वेलेंस इकाई:
0771-2235091, 9713373165 या टोल फ्री नं. 104 पर संपर्क करें।

Email: cgepidemic@gmail.com



mohfw.gov.in



@MoHFWIndia



@MoHFW_INDIA



mohfwindia

नॉवेल कोरोना वायरस रोग (COVID-19) के सन्दर्भ में

आम जन द्वारा 'मास्क' उपयोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धांत

1. प्रस्तावना -

- वर्तमान में नॉवेल कोरोना वायरस संक्रमण (COVID-19) ने महामारी का रूप ले लिया है और अब तक विश्व के 100 से अधिक देश प्रभावित हैं।
- भारत में भी इस रोग के संक्रमण से दिनांक 11 मार्च 2020 तक 60 से अधिक लोग प्रभावित हैं।
- इस विषाणु के संक्रमण से सामान्य बुखार एवं खांसी जैसे सामान्य लक्षण होते हैं और सिर्फ कुछ लोगों में ही यह गंभीर बीमारी का स्वरूप लेता है।
- यह बीमारी COVID-19 संक्रमित व्यक्ति
- के खांसने या छींकने से उत्पन्न छींटों (droplets) के द्वारा फैलती है, जो निकट संपर्क (01 मीटर दूरी से कम के) वाले व्यक्ति को ही संक्रमित करते हैं।

2. आम जन द्वारा मास्क का उपयोग**2.1 लक्षण रहित लोगों को मास्क के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है**

- ऐसे व्यक्ति जिनमें खांसी, बुखार के कोई लक्षण नहीं हैं, उन्हें मास्क उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है।
- स्वस्थ व्यक्ति द्वारा मास्क का उपयोग करने से उन्हें स्वास्थ्य लाभ के काइ वज़ानक प्रमाण उपलब्ध नहीं है।
- कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए मास्क की अपेक्षा निम्न उपाय अधिक प्रभावी होंगे –
 - साबुन से बार-बार (कम से कम 40 सेकंड तक) हाथ धोएं।
 - अल्कोहल युक्त (70%) सैनिटाइज़ेर का उपयोग भी किया जा सकता है। (20 सेकंड तक)
 - खांसते या छींकते समय नाक व मुँह को टिशू पेपर या रुमाल से ढक लें।
 - नाक, मुँह, आँख या चेहरे को छूने से बचें।
 - भीड़ वाले स्थानों में जाने से बचें।
 - खांसने या छींकने वाले व्यक्ति से 1 मीटर की दूरी बनाएं रखें।
 - अपने शरीर के तापमान की जांच नियमित रूप से करते रहें।
 - सर्दी खांसी बुखार के लक्षण उत्पन्न होने पर चिकित्सक की सलाह ले।

2.2 आम जन मास्क का उपयोग कब करें

- जब खांसी या बुखार के लक्षण हों।
- जब किसी अस्पताल में जायें।
- जब किसी मरीज़ की देखभाल करनी हो।
- किसी संभावित या पॉजिटिव मरीज़ (जिनका घर में उपचार चल रहा हो) के निकट संपर्क में आने वाले परिवार के लोग।

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

- एक मास्क- यदि सही तरीके से पहना जाता है तो - अधिकतम 08 घंटों तक तक प्रभावी रहेगा
- इस बीच मास्क यदि गीला हो जाये तो तत्काल बदल लें।

2.4 मास्क के उपयोग की सही विधि

- मास्क का तह (pleat) खोलें और सुनिश्चित करें कि उनकी दिशा नीचे की ओर हो
- मास्क को नाक, मुँह एवं ठुड़ड़ी पर सही तरीके से रखें।
- मास्क के नोज़ पीस को नोज़ ब्रिज पर सही तरीके से फिट करें।
- मास्क की डोर को बाँध कर मास्क अच्छे से फिक्स कर लें (मास्क की उपरी डोर को सर पर कान के ऊपर पीछे के तरफ एवं निचली डोर को गले के पीछे बांधें।
- सुनिश्चित करें कि बंधे मास्क में किसी भी तरफ से कोई गैप न हो
- प्रयोग करते समय मास्क को बार बार छूने से बचें।
- मास्क को गर्दन से लटकने न दें।
- डिस्पोजेबल मास्क को दोबारा बिलकुल प्रयोग न करें और उपयोग के बाद तत्काल डिस्पोज कर दें।
- मास्क उतारते समय सावधानी बरतें और संभावित रूप से संक्रमित मास्क के बाहरी हिस्से को बिलकुल न छुएं।
- मास्क को उतारते समय पहले निचली डोर को खोले उसके पश्चात कान के ऊपर वाली डोर को खोलें।

2.5 उपयोग किये गए मास्क का डिस्पोजल

- उपयोग किये गए मास्क को सामान्य ब्लीचिंग पावडर के 5 % घोल या 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल से अच्छे तरह से डिसइन्फेक्ट करने के बाद मास्क को, जला कर या गहरे गढ़दे में मिट्टी से दबा कर (**Deep burial**) डिस्पोस करें।

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

**नॉवेल कोरोना वायरस संक्रमण के संदर्भ में
क्वारंटीन केंद्र स्थापित किये जाने हेतु दिशा-निर्देश**

क्वारंटीन क्या है ?

- ❖ क्वारंटीन किसी ऐसे व्यक्ति को अलग रखने की प्रक्रिया है, जो **COVID-19** संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आया हो, परन्तु उसमें कोई लक्षण उत्पन्न नहीं हुए हो | ऐसे व्यक्ति को 14 दिवस तक क्वारंटीन में रखा जाना आवश्यक है।
- ❖ क्वारंटीन के दौरान व्यक्ति के स्वास्थ्य की सतत निगरानी की जाती है जिससे लक्षण उत्पन्न होने पर तत्काल रोग की पहचान की जा सके।
- ❖ क्वारंटीन करने से अन्य व्यक्तियों में संक्रमण फैलने के खतरे को रोका जा सकता है।
- ❖ क्वारंटीन की प्रक्रिया आइसोलेशन से भिन्न है- आइसोलेशन प्रक्रिया में लक्षण पाए गए मरीजों को अन्य व्यक्तियों से अलग रखा जाता है जिससे संक्रमण न फैले।
- ❖ क्वारंटीन का अभिप्राय ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था है जहाँ उपरोक्त व्यक्तियों को समुदाय से पृथक कर निगरानी में रखा जा सके।

क्वारंटीन केंद्र क्या है ?

- ❖ क्वारंटीन केंद्र ऐसी संस्था है जहाँ **COVID-19** संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आये व्यक्तियों को इन्क्यूबेशन अवधि तक (14 दिवस तक) समुदाय के अन्य व्यक्तियों से अलग रखा जा सके, साथ ही जहाँ उनकी देखभाल किये जाने की समस्त व्यवस्था हो।

क्वारंटीन केंद्र में क्या व्यवस्था होनी चाहिये ?

- ❖ क्वारंटीन केंद्र में प्रवेश एवं निकास हेतु सामान्य द्वार से पृथक द्वार होना चाहिए।
- ❖ क्वारंटीन केंद्र में हवादार एकल कमरे हो जिसमें संलग्न टॉयलेट और बाथरूम की व्यवस्था हो।
- ❖ यदि एकल रूम ना हो तो दो बिस्तरों की बीच की दूरी कम से कम एक मीटर होनी चाहिये।
- ❖ क्वारंटीन केंद्र में व्यक्तियों के भोजन एवं पानी की स्वच्छता का ध्यान रखते हुए व्यवस्था किया जाना चाहिए।
- ❖ क्वारंटीन केंद्र में रहने वाले व्यक्तियों को आपस में मेल मिलाप से परहेज करना चाहिए। आपस में मिलना

अतिआवश्यक होने पर कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखने की सलाह देवें।

- ❖ क्वारंटीन केंद्र में व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच हेतु समुचित व्यवस्था की जाए एवं प्रतिदिन चिकित्सक द्वारा उनकी स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित की जाए।
- ❖ यथा-संभव क्वारंटीन केंद्र में व्यक्तियों हेतु टी.वी., रेडियो, समाचार पत्र की व्यवस्था की जा सकती है।
- ❖ क्वारंटीन केंद्र में बुजुर्ग व्यक्तियों या अन्य किसी रोग से पीड़ित व्यक्ति का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिये।
- ❖ क्वारंटीन किये गए सभी व्यक्तियों की सभी प्रकार के प्रश्नों एवं शंकाओं को दूर करने हेतु नियमित रूप से टेली काउन्सलिंग एवं टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था की जाये।

क्वारंटीन केंद्र में संक्रमण से बचाव हेतु क्या किया जाना चाहिए ?

- ❖ क्वारंटीन केंद्र में यदि किसी व्यक्ति को बुखार या खांसी के लक्षण उत्पन्न हो तो उनकी **COVID-19** की जांच हेतु सैंपल भेजा जावे साथ ही उन्हें **COVID-19** के संभावित मरीज मानकर उपचार प्रारंभ करें।
- ❖ सैंपल सकारात्मक आने पर पेशेंट ट्रांसपोर्ट एवं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का अक्षरण: पालन करते हुए प्रभावित व्यक्ति को इलाज हेतु तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल अथवा ज़िला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर उपचारित किया जाये।
- ❖ क्वारंटीन किये गए सभी व्यक्तियों को संक्रमण से बचाने हेतु सावधानियों के सम्बन्ध में समस्त जानकारी देना आवश्यक है –
 1. खांसते या छींकते समय रुमाल या टिशू पेपर से नाक और मुँह ढँक लें।
 2. क्वारंटीन केंद्र में रखे गए व्यक्तियों के उपयोग किये हुए टिशू, मास्क/डिस्पोजेबल सामग्री इत्यादि को विषाणुरहित (**Disinfect**) करने पश्चात् ही नष्ट किया जाए।
 3. हाथ को साबुन से बार-बार (कम से कम 40 सेकंड तक) धोयें।
 4. हाथ की स्वच्छता हेतु अल्कोहल बेस्ड सेनेटाईज़र का भी उपयोग किया जा सकता है।
 5. नाक व मुँह को छूने से बचें।
 6. लक्षण रहित व्यक्तियों को मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है।

क्वारंटीन अवधि में स्वास्थ्य जांच

1. क्वारंटीन केंद्र में रह रहे व्यक्ति का प्रतिदिन स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना है जिसमें लक्षणों एवं शरीर के तापमान की अवश्य जांच की जानी चाहिये।
2. क्वारंटीन केंद्र में अन्य बीमारियों से ग्रस्त एवं बुजुर्ग व्यक्तियों की जांच प्राथमिकता के आधार पर करें।

3. किसी को भी खांसी या बुखार के लक्षण होने पर तत्काल सैंपल संग्रहण कर जांच हेतु भेजें।
4. क्वारेंटीन केंद्र में कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं का भी नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना चाहिए।

क्वारेंटीन केंद्र का रख-रखाव

1. क्वारेंटीन केंद्र की नियमित रूप से कीटाणुनाशक पदार्थों से साफ-सफाई की जाए।
2. क्वारेंटीन केंद्र के बाथरूम एवं टॉयलेट, टेबल, बिस्तर, फर्नीचर इत्यादि को ब्लीच सोल्यूशन अथवा एथेनोल से साफ़ किया जाये।
3. क्वारेंटीन केंद्र में व्यक्तियों द्वारा उपयोग किये गए कपड़े, टॉबेल, बिस्तर इत्यादि को 60-90 डिग्री के तापमान के गरम पानी से धोया जाये।
4. क्वारेंटीन केंद्र के जैव अपशिष्ट पदार्थों को खुले में ना फेंक कर **Bio Medical Waste Management** दिशा-निर्देश अनुसार ही नष्ट किया जाये।
5. क्वारेंटीन केंद्र की सफाई के दौरान समस्त सफाई कर्मचारी द्वारा ग्लव्स, मास्क इत्यादि का उपयोग करके ही सतर्कता से सावधानीपूर्वक कार्य किया जाये।

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

नॉवेल कोरोना वायरस संक्रमण के संदर्भ में
“होम आइसोलेशन” हेतु दिशा-निर्देश

कोरोना वायरस के सन्दर्भ में होम आइसोलेशन की परिभाषा

- ❖ कोरोना वायरस के संक्रमण से आम-जन के बचाव एवं वातावरण में विषाणु के संचरण की संभावना को रोकने के लिए कोरोना से प्रभावित देशों या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आये व्यक्तियों का विचरण उसके घर तक सीमित करने हेतु ‘होम आइसोलेशन’ किया जाता है।

होम आइसोलेशन हेतु पात्रता के मानक

- ❖ ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले 1 माह के भीतर चीन या अन्य प्रभावित देश (WHO/GoI द्वारा घोषित) की यात्रा की हो (लक्षण नहीं होने पर भी) या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया हो (लक्षण नहीं होने पर भी)।
- ❖ ऐसे व्यक्ति जिनमे कोरोना वायरस के संक्रमण के कोई भी लक्षण जैसे सर्दी, खांसी बुखार इत्यादि हों, परन्तु चिकित्सक द्वारा होम आइसोलेशन की सलाह दी गयी हो।

‘होम आइसोलेशन’ में क्या-क्या करना और क्या क्या नहीं करना है ?

क. होम आइसोलेटेड व्यक्ति को क्या करना है

1. व्यक्ति एक अलग कमरे में रहे जो हवादार तथा स्वच्छ हो जहाँ संलग्न टॉयलेट एवं बाथरूम की व्यवस्था हो।
2. व्यक्ति 14 दिवस तक घर में उस निर्धारित कमरे में ही रहे।
3. व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जागरूक रहे एवं लक्षण उत्पन्न होने पर तत्काल फोन पर जिला नोडल अधिकारी / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ जिला सर्वोलेंस अधिकारी को सूचित करें।
4. खांसते व छींकते समय रुमाल का उपयोग करें, नियमित रूप से हाथ धोएं और ऐसे प्रयोग किये कपड़ों/रुमाल इत्यादि को साबुन/डिटर्जेंट से धोना सुनिश्चित करें।
5. अधिक मात्रा में तरल पदार्थ लेते रहना है।

ख. होम आइसोलेटेड व्यक्ति को क्या नहीं करना है ?

1. भीड़ वाले स्थान में ना जावें |
2. घर के साझे स्थान जैसे किचेन, हाल इत्यादि का उपयोग कम से कम करें |
3. परिवार के अन्य सदस्यों के निकट संपर्क में ना आयें |
4. बार-बार अपना चेहरा या आँखें ना छुएं |
5. घर में अतिथि या अन्य बाहरी व्यक्ति को आमंत्रित ना करें |
6. इधर उधर ना छींके / थूंके - जहाँ तक हो सके पानी भरे बर्तन में ही थूंके जिससे छींटों से होने वाले संक्रमण की संभावना को कम से कम किया जा सके |
7. बुज्जुर्ग व्यक्ति, गर्भवती महिला एवं बच्चों से विशेष तौर पर दूर रहें |

ग. होम आइसोलेटेड व्यक्ति के परिजनों को क्या करना है?

1. जहाँ तक हो सके परिवार के कम से कम व्यक्ति (संभव हो तो सिर्फ एक) ही होम आइसोलेटेड व्यक्ति की देखभाल करे | देखभाल करने वाला व्यक्ति हमेशा मास्क पहन कर ही होम आइसोलेटेड व्यक्ति के समीप जाए |
2. जहाँ तक हो सके परिवार के बाकी सदस्य अलग कमरे में रहे, यदि ऐसा नहीं संभव हो तो कम से कम एक मीटर की दूरी बना कर रखें |
3. होम आइसोलेटेड व्यक्ति का विचरण सीमित रखने में सहयोग करें |
4. जहाँ तक हो सके होम आइसोलेटेड व्यक्ति द्वारा घर के साझे स्थानों में विचरण न किया जाये | यदि किसी कारणवश उन स्थानों में व्यक्ति को जाना पड़ता है तो घर के जिन साझे स्थानों का उपयोग होम आइसोलेटेड व्यक्ति द्वारा भी किया जा रहा है, उनके खिड़की, रोशनदान इत्यादि खुले रखे जाएं |
5. परिवार के सभी सदस्य नियमित रूप से हाथ धोएं |
6. होम आइसोलेटेड व्यक्ति के संपर्क में आये सभी कपड़े, बेडशीट, टॉवल इत्यादि, उनके द्वारा छुए गये सतह जैसे टेबल, बेड फ्रेम इत्यादि को 5% ब्लीच सोल्यूशन तथा 1% सोडियम हाइड्रोक्लोराइट के मिश्रण से तथा उनके द्वारा उपयोग किये जा रहे बाथरूम, टॉयलेट इत्यादि को नियमित रूप से कीटाणुनाशक से साफ़ करें |
7. आइसोलेटेड व्यक्ति में अथवा परिवार के किसी भी सदस्य में कोई भी लक्षण उत्पन्न होने पर तत्काल फ़ोन पर जिला नोडल अधिकारी / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ जिला सर्वेलेंस अधिकारी को सूचित करें |
8. यदि घर में पालतू पशु हों तो उन्हें होम आइसोलेटेड व्यक्ति से दूर रखें |

घ. होम आइसोलेटेड व्यक्ति के परिजन क्या ना करें

1. आइसोलेटेड व्यक्ति के साथ बर्तन, कपड़े एवं बिस्तर इत्यादि साझा ना करें।
2. आइसोलेटेड व्यक्ति का मास्क एवं अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सामग्री घर के अन्य सदस्य उपयोग ना करें।

सम्बंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को क्या करना है / क्या नहीं करना है ?

1. होम आइसोलेटेड व्यक्ति के सम्बन्ध में समस्त जानकारी तत्काल राज्य सर्वेलेंस इकाई को उपलब्ध कराएं।
2. सैंपल संग्रहण एवं ट्रांसपोर्ट हेतु निर्धारित प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करते हुए सैंपल संकलित कर जांच हेतु भेजें।
3. होम आइसोलेटेड व्यक्ति से दूरभाष के माध्यम से चर्चा कर -
 - होम आइसोलेशन की आवश्यकता एवं इस दौरान क्या करना है क्या नहीं करना है – के विषय में विस्तार से समझाएं।
 - यात्रा के दौरान एवं विभाग को सूचना प्राप्त होने तक संपर्क में आये समस्त व्यक्तियों का विवरण प्राप्त करें। (Contact Tracing)
4. होम आइसोलेटेड व्यक्ति के परिजनों को भी दूरभाष के माध्यम से होम आइसोलेशन की आवश्यकता एवं इस दौरान क्या करना है क्या नहीं करना है – के सम्बन्ध में अवगत करावें।
5. यदि किसी परिस्थिति में पूछताछ अथवा जांच हेतु होम आइसोलेटेड व्यक्ति के घर जाना अनिवार्य प्रतीत होता है तो पी. पी.ई. / मास्क इत्यादि का प्रयोग कर संक्रमण की संभावना से व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करें।
6. जिला चिकित्सालय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें, जो होम आइसोलेशन की अवधि के दौरान संबंधित व्यक्तियों से दूरभाष के माध्यम से दैनिक रूप से संपर्क में रहे। यदि नोडल अधिकारी को सम्बंधित व्यक्ति अथवा उसके परिजनों में लक्षण उत्पन्न होने की सूचना मिलती है, तो विशेषज्ञ की सलाह अनुसार तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7. यदि भेजे गये सैंपल की रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होती है, तो इस सम्बन्ध में राज्य सर्वैलेंस इकाई को सूचित करते हुए तत्काल विभाग द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से उपचार के सम्बन्ध में जारी किये गए विस्तृत दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
8. किसी भी परिस्थिति में होम आइसोलेशन 14 दिन की अवधि से कम न हों।
9. कोरोना वायरस के अंतरप्रजातीय (interspecies) संचरण की सम्भावना को देखते हुए- यदि होम आइसोलेटेड व्यक्ति के घर में पालतू पशु हैं तो उन्हें होम आइसोलेटेड व्यक्ति से दूर रखें - और यदि पशुओं में कुछ असाधारण लक्षण मिलते हैं तो तत्काल पशु चिकित्सक से जाँच करवाएँ।

सम्बंधित जिले के कलेक्टर के उत्तरदायित्व

1. होम आइसोलेटेड व्यक्तियों के स्वास्थ्य की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्रतिदिन जानकारी प्राप्त करना।
2. यदि होम आइसोलेटेड व्यक्ति में लक्षण उत्पन्न होने अथवा सैंपल रिपोर्ट में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होती है तो तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन को निर्देशित कर संक्रमित व्यक्ति का उपचार जिला अस्पताल/मेडिकल कॉलेज अथवा अन्य किसी अस्पताल में जहाँ आइसोलेशन वार्ड की सुविधा हो, उपचार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. यदि होम आइसोलेशन के कारण सम्बंधित व्यक्ति अथवा परिवार दैनिक उपयोग की सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं तो स्थानीय प्रशासन / समीप में निवासरत परिवार के रिशेदार / पडोसी से चर्चा कर उन्हें आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना।
4. यदि होम आइसोलेटेड व्यक्ति के पालतू पशु में कोई असाधारण लक्षण परिलक्षित होते हैं तो तत्काल पशु चिकित्सक के द्वारा जाँच उपरांत पशु विभाग से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करें।

टीप- उपरोक्त समस्त कार्य पर जिले के कलेक्टर सतत निगरानी बनाए रखे एवं आपातकालीन स्थिति में विभाग के शीर्षस्थ अधिकारी को सूचित करेंगे।